बिन्दु संख्या–4

योग प्रशिक्षक एवं योग सहायक की उपस्थिति

प्रत्येक सेण्टर पर एक पृथक उपस्थिति पंजिका होगी जिस पर योग प्रशिक्षक एवं योग सहायक अपने नाम के समक्ष प्रतिदिन अपना हस्ताक्षर अंकित करते हुए आने एवं जाने का समय लिखेंगे।

बिन्दु संख्या–5

योगाभ्यास कक्ष की साज–सज्जा एवं स्वच्छता

प्रत्येक योगाभ्यास कक्ष की योगासनों के चार्ट एवं डिसप्ले अध्ययन सामग्री के माध्यम से इस प्रकार साज–सज्जा की जायेगी, जिससे लाभार्थी को मानसिक शान्ति एवं सहजता का अनुभव हो सके। कक्ष की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होगा।

बिन्दु संख्या–6

सार्वजनिक स्थलों पर योगाभ्यास

बिन्दु संख्या–2 के खण्ड–(ब) में निहित स्थलों पर योग शिविर आयोजन से पूर्व जन साधारण को सूचना दी जायेगी तथा आवश्यकतानुसार प्रचार सामग्री/पर्चे छपवाकर लोगों के मध्य वितरित किया जायेगा। परिणामतः अधिक से अधिक लोग शामिल होकर योग का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस दौरान योग प्रशिक्षकों को कॉर्डलेस माइक एवं साउण्ड बॉक्स इत्यादि की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

बिन्दु संख्या–7

कार्यशाला एवं संगोष्ठियों का आयोजन

प्रत्येक माह जनसाधारण के स्वास्थ्य संरक्षण हेतु एक कार्यशाला एवं एक संगोष्ठी का आयोजन किया जायेगा। उक्त हेतु समय और दिनांक सम्बन्धित समिति निर्धारित करेगी। प्रेस विज्ञप्ति विभिन्न समाचार पत्रों तथा अन्य प्रचार–प्रसार के माध्यमों से प्रकाशित की जायेगी।

बिन्दु संख्या–8

प्रचार सामग्री का मुद्रण एवं प्रकाशन

आवश्यकतानुसार प्रत्येक सेण्टर के लिए योग, स्वास्थ्य, रोगों का कारण, स्वच्छता, आदर्श जीवन शैली इत्यादि पक्षों को समाहित करते हुए प्रचार सामग्री का मुद्रण एवं प्रकाशन मिशन निदेशालय द्वारा कराया जायेगा। योग वेलनेस सेण्टर में उपलब्ध सुविधाओं का उल्लेख करते हुए भवन पर एक बोर्ड लगाया जायेगा अथवा दीवार पर 6x3 फुट में पेण्ट कराया जायेगा।

बिन्दु संख्या–9

लाभार्थियों का रिकार्ड एवं प्रगति रिपोर्ट

योग वेलनेस सेण्टर में पंजीकृत होने वाले रोगियों एवं लाभार्थियों की निर्धारित प्रारूप में जानकारी अंकित की जायेगी जो सेण्टर में सुरक्षित रखी जायेगी तथा प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह में समिति के समक्ष योग प्रशिक्षक द्वारा प्रस्तुत की जायेगी।

बिन्दु संख्या–10

स्टॉक रजिस्टर एवं क्रय की गई वस्तुओं की जिम्मेदारी एवं सुरक्षा

प्रत्येक सेण्टर में एक स्टाक रजिस्टर होगा जिसमें प्रत्येक वस्तुओं/उपकरणों का विवरण योग प्रशिक्षक द्वारा अंकित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित चिकित्साधिकारी सत्यापित करेगा। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सम्बन्धित चिकित्साधिकारी एवं योग प्रशिक्षक की होगी।

बिन्दु संख्या–11

योगाभ्यास के लिये वस्त्र

प्रत्येक लाभार्थी/रोगी ऐसे वस्त्र पहनकर आयेंगे जिससे उन्हें योगासन, प्राणायाम इत्यादि का अभ्यास करने में सहजता का अनुभव हो। वस्त्रों में कुर्ता, पायजामा या ट्रेक सूट उपयुक्त होगा।

बिन्दु संख्या–12

जनसम्पर्क अभियान

योग वेलनेस सेण्टर में पर्याप्त संख्या में लाभार्थियों का आना सुनिश्चित करने के लिये योग प्रशिक्षक एवं योग सहायक कार्य योजना बनाकर जन सम्पर्क भी करेंगे।

बिन्दु संख्या–13

फीडबैक फार्म

सेण्टर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थी या रोगी से प्रत्येक माह के अन्तिम दिनांकों में फीडबैक फार्म भरवाये जायेंगे, जो केन्द्र में सुरक्षित रखे जायेंगे।